

प्रयागराज संदेश

लाइव निगरानी के बीच शुरू हुई बोर्ड परीक्षा

अति संवेदनशील केंद्रों पर रही पैनी नज़र

अखंड भारत संदेश



तीन अधिकारियों की उपस्थित में खोले गए प्रश्न पत्र

परीक्षा केंद्रों पर बने स्ट्रॉग रूम में प्रश्न पत्र रखवाएं गए हैं। परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र के पैकेट तीन अधिकारियों की उपस्थित में खोले जाएंगे। इस दौरान केंद्र व्यवस्थापक, बाह्य केंद्र व्यवस्थापक और स्टैटिक मजिस्ट्रेट उपस्थित रहें। जिस विषय की परीक्षा है वह उसके अलावा किसी अन्य विषय का प्रश्न पत्र खोला जाता है, तो तीनों के खिलाफ कर्वाई की जाएगी।

हाईस्कूल में हिंदी-वाणिज्य और इंटरमीडिएट में हिंदी के साथ सैन्य विज्ञान की परीक्षा

परीक्षा दो पालियों में होगी। प्रथम पाली में हाईस्कूल की सुबह 8:30 बजे से 11:45 तक और हिंदीय पाली में इंटरमीडिएट की परीक्षा दोपहर 1:00 बजे तक मुस्लिम पक्ष की ओर से अधिकारी अमरदी में वीडियो कॉर्फेसिंग से हहस की। लंग के बाद दोपहर 2:00 बजे से 3:30 बजे तक दोबारा मुस्लिम पक्ष ने अपनी दीलों पेश की। हाईकोर्ट हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल अर्जियों की पोषणीयता पर बहस हो रही है। ऑर्डर सत रूल्स 11 के तहत अर्जियों की पोषणीयता को चुनौती दी गई है। मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल पाली दी जा रही है कि हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल अर्जियों नहीं हैं। मुस्लिम पक्ष की ओर से 1968 में सन्दर्भों को लेकर भी मुस्लिम पक्ष ने हहस की। कहा है कि इसके तहत केशव देव कट्टरा की 13.7 एकड़ जमीन शाही इंदगाह मरिजद को दी गई है। मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वरिंग एकट 1991, लिमिटेड एकट का भी हवाला दिया है।



हाईकोर्ट समाचार

कृष्ण जन्मभूमि-शाही इंदगाह के समें हुई सुनवाई

प्रयागराज। मथुरा की ऐ कृष्ण जन्मभूमि और शाही इंदगाह मस्जिद विवाद को लेकर दाखिल अर्जियों पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज की बहस हुई पूरी ही गई। सून नबर एक भावान श्री कृष्ण विराजमान कट्टरा केशव देव में शाही इंदगाह मस्जिद दर्स की ओर से करीब तीन घंटे तक बहस चली। शुक्रवार दोपहर 10 बजे से फिर सुनवाई होगी। इंदगाह मस्जिद और यूनी सुन्नी संस्कृत वक्फ बोर्ड की ओर से दो वीड़ी हुई पेश करने का मौका मिलेगा। मुस्लिम पक्ष की ओर से दो गई दीलों पर हिंदू पक्ष अपना जगव दाखिल करेगा।

मुस्लिम पक्ष के अधिकारी ने वीडियो कॉर्फेसिंग के जरिए पेश की दीलों

गुरुवार को पहले सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक मुस्लिम पक्ष की ओर से अधिकारी अमरदी में वीडियो कॉर्फेसिंग से हहस की। लंग के बाद दोपहर 2:00 बजे से 3:30 बजे तक दोबारा मुस्लिम पक्ष ने अपनी दीलों पेश की। हाईकोर्ट हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल अर्जियों की पोषणीयता पर बहस हो रही है। ऑर्डर सत रूल्स 11 के तहत अर्जियों की पोषणीयता को चुनौती दी गई है। मुस्लिम पक्ष की ओर से दीलों पर हिंदू पक्ष की ओर से 1968 में सन्दर्भों को लेकर भी मुस्लिम पक्ष ने हहस की। कहा है कि इसके तहत केशव देव कट्टरा की 13.7 एकड़ जमीन शाही इंदगाह मस्जिद को दी गई है। मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वरिंग एकट 1991, लिमिटेड एकट का भी हवाला दिया है।

जस्टिस मयंक कुमार जैन की बैच कर रही सुनवाई

जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिगल बैच मामले की सुनवाई कर रही है सुनवाई। आज की सुनवाई में विवादित परिसर का अमीन सर्वे कराये जाने की मांग की लेकर दाखिल अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट 18 अर्जियों पर एक साथ सुनवाई कर रहा है। अधियार्थी विवादी की तरफ पर जिला अदालत के बायां हाईकोर्ट में सीधे तर पर मामले की सुनवाई हो रही है। ज्यादातर अर्जियों में शाही इंदगाह मस्जिद के हिंदुओं का धार्मिक रूप से दाखिल कर रहे हैं। ज्यादातर अर्जियों में जामीन शाही इंदगाह मस्जिद को दी गई है। ज्यादातर अर्जियों में जामीन शाही इंदगाह मस्जिद को दी गई है।

हाईकोर्ट ने शुआद्स से पूछा : किस नियम के तहत एक प्रोफेसर को दिया दो पाले का बेतन

प्रयागराज। शुआद्स प्रोफेसर चंद्रलाल शुक्ला पर दो दो पाले से अधिक संविति के मामले की जांच जैन हो गई है। इसआईटी के विवाद के प्रोफेसर की अधिकारी की लेकर एवं पूर्व में संस्थान की ओर से दिये गए जागव भारत नियाद जैसे एक गेस्ट हाउस से राधारमण इंटरकालेज तक एवं विश्वनाथ लाल नियाद के आवास से प्रयाग राम रेलवे स्टेशन तक के नियाम कार्यों को भी नार आयुक्त द्वारा नियाद की विवाद कर रहा था। इसके तहत केंद्र के सम्बन्ध में अधिवासी अधियनता को नियामित किया गया। इसके तहत नीटों भी जारी किया गया है। इसमें पूछा गया है कि किस नियम कार्यों को भी नार आयुक्त द्वारा नियाद की विवाद कर रहा था। इस दौरान भी जारी हुई में जो मासले का उपयोग कार्यों को गुणवत्ता मासक के अनुसर होता नहीं पाया गया। उक्त के सम्बन्ध में अधिवासी अधियनता को नियामित किया गया। इसके तहत नीटों भी जारी किया गया है। इसमें पूछा गया है कि किस नियम कार्यों को भी नार आयुक्त द्वारा नियाद की विवाद कर रहा था। इस दौरान भी जारी हुई में जो मासले का उपयोग कार्यों को गुणवत्ता मासक के अनुसर होता नहीं पाया गया। उक्त के सम्बन्ध में अधिवासी अधियनता को नियामित किया गया। इसके तहत नीटों भी जारी किया गया है। इसमें पूछा गया है कि किस नियम कार्यों को भी नार आयुक्त द्वारा नियाद की विवाद कर रहा था। इस दौरान भी जारी हुई में जो मासले का उपयोग कार्यों को गुणवत्ता मासक के अनुसर होता नहीं पाया गया। उक्त के सम्बन्ध में अधिवासी अधियनता को नियामित किया गया। इसके तहत नीटों भी जारी किया गया है। इसमें पूछा गया है कि किस नियम कार्यों को भी नार आयुक्त द्वारा नियाद की विवाद कर रहा था। इस दौरान भी जारी हुई में जो मासले का उपयोग कार्यों को गुणवत्ता मासक के अनुसर होता नहीं पाया गया। उक्त के सम्बन्ध में अधिवासी अधियनता को नियामित किया गया। इसके तहत नीटों भी जारी किया गया है। इसमें पूछा गया है कि किस नियम कार्यों को भी नार आयुक्त द्वारा नियाद की विवाद कर रहा था। इस दौरान भी जारी हुई में जो मासले का उपयोग कार्यों को गुणवत्ता मासक के अनुसर होता नहीं पाया गया। उक्त के सम्बन्ध में अधिवासी अधियनता को नियामित किया गया। इसके तहत नीटों भी जारी किया गया है। इसमें पूछा गया है कि किस नियम कार्यों को भी नार आयुक्त द्वारा नियाद की विवाद कर रहा था। इस दौरान भी जारी हुई में जो मासले का उपयोग कार्यों को गुणवत्ता मासक के अनुसर होता नहीं पाया गया। उक्त के सम्बन्ध में अधिवासी अधियनता को नियामित किया गया। इसके तहत नीटों भी जारी किया गया है। इसमें पूछा गया है कि किस नियम कार्यों को भी नार आयुक्त द्वारा नियाद की विवाद कर रहा था। इस दौरान भी जारी हुई में जो मासले का उपयोग कार्यों को गुणवत्ता मासक के अनुसर होता नहीं पाया गया। उक्त के सम्बन्ध में अधिवासी अधियनता को नियामित किया गया। इसके तहत नीटों भी जारी किया गया है। इसमें पूछा गया है कि किस नियम कार्यों को भी नार आयुक्त द्वारा नियाद की विवाद कर रहा था। इस दौरान भी जारी हुई में जो मासले का उपयोग कार्यों को गुणवत्ता मासक के अनुसर होता नहीं पाया गया। उक्त के सम्बन्ध में अधिवासी अधियनता को नियामित किया गया। इसके तहत नीटों भी जारी किया गया है। इसमें पूछा गया है कि किस नियम कार्यों को भी नार आयुक्त द्वारा नियाद की विवाद कर रहा था। इस दौरान भी जारी हुई में जो मासले का उपयोग कार्यों को गुणवत्ता मासक के अनुसर होता नहीं पाया गया। उक्त के सम्बन्ध में अधिवासी अधियनता को नियामित किया गया। इसके तहत नीटों भी जारी किया गया है। इसमें पूछा गया है कि किस नियम कार्यों को भी नार आयुक्त द्वारा नियाद की विवाद कर रहा था। इस दौरान भी जारी हुई में जो मासले का उपयोग कार्यों को गुणवत्ता मासक के अनुसर होता नहीं पाया गया। उक्त के सम्बन्ध में अधिवासी अधियनता को नियामित किया गया। इसके तहत नीटों भी जारी किया गया है। इसमें पूछा गया है कि किस नियम कार्यों को भी नार आयुक्त द्वारा नियाद की विवाद कर रहा था। इस दौरान भी जारी हुई में जो मासले का उपयोग कार्यों को गुणवत्ता मासक के अनुसर होता नहीं पाया गया। उक्त के सम्बन्ध में अधिवासी अधियनता को नियामित किया गया। इसके तहत नीटों भी जारी किया गया है। इसमें पूछा गया है कि किस नियम कार्यों को भी नार आयुक्त द्वारा नियाद की विवाद कर रहा था। इस दौरान भी जारी हुई में जो मासले का उपयोग कार्यों को गुणवत्ता मासक के अनुसर होता नहीं पाया गया। उक्त के सम्बन्ध में अधिवासी अधियनता को नियामित किया गया। इसके तहत नीटों भी जारी किया गया है। इसमें पूछा गया है कि किस नियम कार्यों को भी नार आयुक्त द्वारा नियाद की विवाद कर रहा था। इस दौरान भी जारी हुई में जो मासले का उपयोग कार्यों को गुणवत्ता मासक के अनुसर होता नहीं पाया गया। उक्त के सम्बन्ध में अधिवासी अधियनता को नियामित किया गया। इसके तहत नीटों भी जारी किया गया है। इसमें पूछा गया है कि किस नियम कार्यों को भी नार आयुक्त द्वारा नियाद की विवाद कर रहा था। इस दौरान भी जारी हुई में जो मासले का उपयोग कार्यों को गुणवत्ता मासक के अनुसर होता नहीं पाया गया। उक्त के सम

संपादक की कलम से

नरीमन स्थानी गुम हुई दो आवाजें

90 साल के पार जाकर बुधवार को ऐसी दो महान शरियतें सदा के लिये जुदा हो गईं, जिहोने अपनी आजातों के दम पर लम्बे समय तक अपने-अपने कार्यक्रमों को उंगलियां किये रखा था। इनमें से एक है महान विधिवेता फली ऐप नरीमन जिहोने लगभग सात दशकों तक पहले बांधे हाईकोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न न्यायालयों के समक्ष अनगिनत मामलों की सुनवाइयों के दीरान अपने कानूनी तर्कों का जाने किए जाने वाले भी 'मी लॉटी' के साथ-साथ तक एक हुए अपनी प्रबुद्धि पैदा, प्रतिवाद व तर्क क्षमता से सबको मन्त्रिमुख किया, तो वही दूसरी तरफ भारतीय रोडों के सबसे चहेते उड़ाक अमीन स्थानी भी इस जहां के अपने करोड़ों 'भाज्यों और बहनों' को अलविदा कह गये। फली एस नरीमन के कड़े शब्द यदि कानों में पहले ही सीधी दिन का जावन का अविभाज्य हिस्सा रहे- एक कानूनी किताबों के माध्यम से तो दूसरे रेडियो के जरूरी।

10 जनवरी, 1929 को तत्कालीन रंगन कहे जाने वाले और अब यौगुन बन चुके स्थानांतर (तब का वर्ग) में एक पारसी परिवार में जन्मे नरीमन ने रस्तीली शिक्षा हिमाचल प्रदेश के शिमला से तथा अर्थशास्त्र के साथ थीं व कानून की शिक्षा मुबई के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थानों से पूरी की। बहुत कम उम्र में बांधे हाईकोर्ट से उहोने वकालत शुरू की और अपने समय में ही उहोने कानून व संविधान समन्वयी अपने कानून का लाहा मनवा लिया था। यहां 22 साल तक प्रैविटस करने के बाद बाद वैदिकों द्वारा आये और जल्दी ही उहोने सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी धार जारी। 1971 में भारत सरकार के वे सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ गवली रहे। फिर 1972 से 1975 तक अतिरिक्त लोक अधियोजक थे परन्तु आपातकाल लगान के विरोध में उहोने त्यागपत्र दिया। बाद में 2011 से 2013 तक वे भारत सरकार के संविधानिकर जरूरत रहे।

पद्मावत प वधा विधुत से उन्होने फली एस नरीमन के प्रसिद्ध अंग तक 1999 से 2005 तक वे राष्ट्रपति द्वारा राजसभा के लिये नियुक्त किये गये थे। उनका काम केवल कोटे रूप तक ही सीमित नहीं था। अनेक तरह की राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संसाधों व संगठनों के प्रमुख भी रहे थे। उनकी आत्मकथा बिफोर मेरीरी फेद्स कानूनी लोकप्रिय हुई थी जिसमें उहोने अपने वकालती ऐसे के बाहरी भीतरी पांचों को उत्तराप्ति किया है। उनके नाम पर विस सूट इर्ट की 'फली अमीन पुरस्कार' भी दिया गया है। भाजपा के कुछ वालों द्वारा इंडिया में आरोपी कम्पनी यूनियन कार्बोइंड को केस लड़ने पर आजम घण्टाने वालों का 'काश' को झगड़ा दिया गया है। इसके बाद वे अपनी आत्मकथा में भी उहोने इस प्रकार जारी है। इस केस में उहोने यूनियन कार्बोइंड तथा पीड़ितों के बीच कोर्ट के बाहर समझौते की पेशकश की थी और उहोने एक बड़ा मुआवजा प्रस्तावित किया था।

इसके बावजूद भारत के संकेतकों के हमेशा प्रधान रहे इस महान कानूनविद की लोकप्रिय व प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं आई थी। जिस कॉलेजियम सिस्टम के जरूरी अज शोधी न्यायालय के गैरीजन जर्सी की नियुक्ति होती है, उसे मान्यता 1993 के एक प्रसिद्ध मामले से मिली थी जो 'सेंकेंड जन्स केंस' के नाम से जाना जाता है। उनके लड़े गये मुकदमों की फैरिरस आखिर लाखी वालों न हो उहोने लगभग सात दशकों तक न्यायालयिक की सेवा की।

उधर 21 दिसंबर, 1932 को मर्वद में जन्मे अमीन स्थानी की आवाज भारत की सीमांत लोकप्रिय तथा तक में सुनी जाती थी, जहां हिन्दी समझी व बोली जाती है। रेडियो से प्रसारित होने वाला उनका कार्यक्रम बिनाका गोमाला दुनिया भर में सम्प्रदाय के गैरीजन जर्सी की नियुक्ति होती है, उसे मान्यता 1993 के एक प्रसिद्ध मामले से मिली थी जो 'सेंकेंड जन्स केंस' के नाम से जाना जाता है।

उनके लड़े गये मुकदमों की फैरिरस आखिर लाखी वालों न हो उहोने लगभग सात दशकों तक न्यायालयिक की सेवा की। उनके लड़े गये मुकदमों के बाहर समझौते की पेशकश की थी और उहोने एक बड़ा मुआवजा प्रस्तावित किया था।

उधर 21 दिसंबर, 1932 को मर्वद में जन्मे अमीन स्थानी की आवाज भारत की सीमांत लोकप्रिय तथा तक में सुनी जाती थी, जहां हिन्दी समझी व बोली जाती है। रेडियो से प्रसारित होने वाला उनका कार्यक्रम बिनाका गोमाला दुनिया भर में सम्प्रदाय के गैरीजन जर्सी की नियुक्ति होती है, उसे मान्यता 1993 के एक प्रसिद्ध मामले से मिली थी जो 'सेंकेंड जन्स केंस' के नाम से जाना जाता है।

उधर 21 दिसंबर, 1932 को मर्वद में जन्मे अमीन स्थानी की आवाज भारत की सीमांत लोकप्रिय तथा तक में सुनी जाती थी, जहां हिन्दी समझी व बोली जाती है। रेडियो से प्रसारित होने वाला उनका कार्यक्रम बिनाका गोमाला दुनिया भर में सम्प्रदाय के गैरीजन जर्सी की नियुक्ति होती है, उसे मान्यता 1993 के एक प्रसिद्ध मामले से मिली थी जो 'सेंकेंड जन्स केंस' के नाम से जाना जाता है।

उधर 21 दिसंबर, 1932 को मर्वद में जन्मे अमीन स्थानी की आवाज भारत की सीमांत लोकप्रिय तथा तक में सुनी जाती थी, जहां हिन्दी समझी व बोली जाती है। रेडियो से प्रसारित होने वाला उनका कार्यक्रम बिनाका गोमाला दुनिया भर में सम्प्रदाय के गैरीजन जर्सी की नियुक्ति होती है, उसे मान्यता 1993 के एक प्रसिद्ध मामले से मिली थी जो 'सेंकेंड जन्स केंस' के नाम से जाना जाता है।

उधर 21 दिसंबर, 1932 को मर्वद में जन्मे अमीन स्थानी की आवाज भारत की सीमांत लोकप्रिय तथा तक में सुनी जाती थी, जहां हिन्दी समझी व बोली जाती है। रेडियो से प्रसारित होने वाला उनका कार्यक्रम बिनाका गोमाला दुनिया भर में सम्प्रदाय के गैरीजन जर्सी की नियुक्ति होती है, उसे मान्यता 1993 के एक प्रसिद्ध मामले से मिली थी जो 'सेंकेंड जन्स केंस' के नाम से जाना जाता है।

उधर 21 दिसंबर, 1932 को मर्वद में जन्मे अमीन स्थानी की आवाज भारत की सीमांत लोकप्रिय तथा तक में सुनी जाती थी, जहां हिन्दी समझी व बोली जाती है। रेडियो से प्रसारित होने वाला उनका कार्यक्रम बिनाका गोमाला दुनिया भर में सम्प्रदाय के गैरीजन जर्सी की नियुक्ति होती है, उसे मान्यता 1993 के एक प्रसिद्ध मामले से मिली थी जो 'सेंकेंड जन्स केंस' के नाम से जाना जाता है।

उधर 21 दिसंबर, 1932 को मर्वद में जन्मे अमीन स्थानी की आवाज भारत की सीमांत लोकप्रिय तथा तक में सुनी जाती थी, जहां हिन्दी समझी व बोली जाती है। रेडियो से प्रसारित होने वाला उनका कार्यक्रम बिनाका गोमाला दुनिया भर में सम्प्रदाय के गैरीजन जर्सी की नियुक्ति होती है, उसे मान्यता 1993 के एक प्रसिद्ध मामले से मिली थी जो 'सेंकेंड जन्स केंस' के नाम से जाना जाता है।

उधर 21 दिसंबर, 1932 को मर्वद में जन्मे अमीन स्थानी की आवाज भारत की सीमांत लोकप्रिय तथा तक में सुनी जाती थी, जहां हिन्दी समझी व बोली जाती है। रेडियो से प्रसारित होने वाला उनका कार्यक्रम बिनाका गोमाला दुनिया भर में सम्प्रदाय के गैरीजन जर्सी की नियुक्ति होती है, उसे मान्यता 1993 के एक प्रसिद्ध मामले से मिली थी जो 'सेंकेंड जन्स केंस' के नाम से जाना जाता है।

उधर 21 दिसंबर, 1932 को मर्वद में जन्मे अमीन स्थानी की आवाज भारत की सीमांत लोकप्रिय तथा तक में सुनी जाती थी, जहां हिन्दी समझी व बोली जाती है। रेडियो से प्रसारित होने वाला उनका कार्यक्रम बिनाका गोमाला दुनिया भर में सम्प्रदाय के गैरीजन जर्सी की नियुक्ति होती है, उसे मान्यता 1993 के एक प्रसिद्ध मामले से मिली थी जो 'सेंकेंड जन्स केंस' के नाम से जाना जाता है।

उधर 21 दिसंबर, 1932 को मर्वद में जन्मे अमीन स्थानी की आवाज भारत की सीमांत लोकप्रिय तथा तक में सुनी जाती थी, जहां हिन्दी समझी व बोली जाती है। रेडियो से प्रसारित होने वाला उनका कार्यक्रम बिनाका गोमाला दुनिया भर में सम्प्रदाय के गैरीजन जर्सी की नियुक्ति होती है, उसे मान्यता 1993 के एक प्रसिद्ध मामले से मिली थी जो 'सेंकेंड जन्स केंस' के नाम से जाना जाता है।

उधर 21 दिसंबर, 1932 को मर्वद में जन्मे अमीन स्थानी की आवाज भारत की सीमांत लोकप्रिय तथा तक में सुनी जाती थी, जहां हिन्दी समझी व बोली जाती है। रेडियो से प्रसारित होने वाला उनका कार्यक्रम बिनाका गोमाला दुनिया भर में सम्प्रदाय के गैरीजन जर्सी की नियुक्ति होती है, उसे मान्यता 1993 के एक प्रसिद्ध मामले से मिली थी जो 'सेंकेंड जन्स केंस' के नाम से जाना जाता है।

उधर 21 दिसंबर, 1932 को मर्वद में जन्मे अमीन स्थानी की आवाज भारत की सीमांत लोकप्रिय तथा तक में सुनी जाती थी, जहां हिन्दी समझी व बोली जाती है। रेडियो से प्रसारित होने वाला उनका कार्यक्रम बिनाका गोमाला दुनिया भर में सम्प्रदाय के गैरीजन जर्सी की नियुक्ति होती है, उसे मान्यता 1993 के एक प्रसिद्ध मामले से मिली थी जो 'सेंकेंड जन्स केंस' के नाम से जाना जाता है।

उधर 21 दिसंबर, 1932 को मर्वद में जन्मे अमीन स्थानी की आवाज भारत की सीमांत लोकप्रिय तथा तक में सुनी जाती थी, जहां हिन्दी समझी व बोली जाती है। रेडियो से प्रसारित होने वाला उनका कार्यक्रम बिनाका गोमाला दुनिया भर में सम्प्रदाय के गैरीजन जर्सी की नियुक्ति होती है, उसे मान्यता 1993 के एक प्रसिद्ध मामले से मिली थी जो 'सेंकेंड जन्स केंस' के नाम से जाना जाता है।

उधर 21 दिसंबर, 1932 को मर्वद में जन्मे अमीन स्थानी की आवाज भारत की सीमांत लोकप्रिय तथा तक में सुनी जाती थी, जहां हिन्दी समझी व बोली जाती है। रेडियो से प्रसारित होने वाला उनका कार्यक्र

